प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

संख्याःएच0.एफ0डब्लयु–बी (ए) 3–2/2008–लूज   7 जुलाई, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल, आयुष चिकित्सा पद्धतियों व अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार कर रहे निजि संस्थानों में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, पैंशनरों तथा उनके आश्रितों को इलाज करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय देने के विषय में निम्नलिखित नीति को लागू करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

1. प्रदेश में स्थित आयुष चिकित्सा पद्धतियों व अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपचार कर रहे निजि संस्थानों को हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों व पैंशनरों तथा उनके आश्रितों का इलाज करने हेतु निर्धारित प्रकिया पूर्ण करने के उपरांत मान्यता प्रदान की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों, पैशनरों और उनके आश्रितों को इस प्रकार किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति इस नीति के अनुसार की जायेगी।

2. प्रदेश में स्थित निजी आयुष अस्पतालों/केन्द्रों को आयुष पद्धतियों अथवा योग, प्राकृतिक चिकित्सा व अन्य वैकल्पिक पद्धतियों से इलाज कर रही संस्थाओं को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, पैशनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा की प्रतिपूर्ति व्यय की अदायगी करने के लिए निम्न सिंद्धातों के आधार पर सूचिबद्ध किया जाएगा:–

2.1. यदि वह इलाज प्रदेश के सरकारी आर्युर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध नहीं है ।

2.2. सरकारी आर्युवेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है परन्तु इन संस्थानों पर दबाव को कम करने के दृष्टिगत ।

3. केवल वे संस्थायें ही सम्बद्धता (empanelment) की पात्र होंगी जो कि प्रदेश के भीतर स्थित हों ।

4. सम्बद्धता की इच्छुक संस्थाओं द्वारा निदेशक, आर्युवेद को एक प्रार्थना पत्र द्वारा अनुरोध करने पर निदेशक आर्युवेद इन संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु एक दल का गठन करेगें ।

5. प्रत्येक संस्था को निरीक्षण के लिये 15,000/—रूपये की फीस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक आर्युवेद को प्रार्थना पत्र के साथ भेजनी होगी ।

6. निदेशक आर्युवेद निरीक्षण के लिये गठित दल की रिर्पोट की जांच करेंगें व अगर वे संतुष्ट हों तो प्रार्थी संस्थान को सूचीबद्ध (empanel) करने की संस्तूति के साथ मामला सरकार को भेजेंगे ।

7. सरकार के स्तर पर मामले का परीक्षण करके माननीय मंत्रीमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा । माननीय मंत्रीमण्डल की अनुमति मिलने के बाद निजि संस्थान को सम्बद्धता दी जायेगी ।

8. सम्बद्धता की अवधि 2 वर्ष होगी व दो वर्ष के बाद संस्थान को पुनः आवेदन करना होगा ।

9. यदि सम्बद्ध किये गये किसी निजी संस्थान के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है और यह शिकायत उचित पाई जाती है तो निदेशक आर्युवेद, हिमाचल प्रदेश उस संस्थान को सूची से निकालने हेतु व अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगें।

10. **चिकित्सा प्रतिपूर्ति :**

10.1. सूचिबद्ध अस्पताल में इलाज के लिये प्रदेश के अस्पताल में 2 (दो) नामित विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित होने के बाद रैफर होना आवश्यक होगा

10.2. हिमाचल प्रदेश में आन्तरिक एंव ब्राह्य मरीज के रूप में इन सम्बद्ध **संस्थानों/केन्द्रों** में लिये गये इलाज पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति empanelment की अनुमति के समय मंत्रीमण्ड़ल द्वारा अनुमोदित दरों पर की जायेगी ।

11. प्रतिपूर्ति बिलों का सत्यापन सम्बद्ध चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा ।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव(स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याःयथोपरि

दिनांकः 7 जुलाई, 2009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1.समस्त प्रशासनिक सचिच, हिमाचल प्रदेश ।

2.समस्त विभागाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश ।
3.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायलय,हिमाचल प्रदेश,शिमला–1.
4.अवर सचिव,गंर्वनर सचिवालय,हिमाचल प्रदेश,शिमाला–1.
5.सचिव,हिमाचल प्रदेश विधान सभा,शिमला–4 ।
6.अवासीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, सिकन्दरा रोड़, हिमाचल प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।
7.महालेखाकार(लेखा एंव हकदारी),हिमाचल प्रदेश शिमला–4
8. महालेखाकार(लेखा),हिमाचल प्रदेश शिमला–4 ।
9.समस्त मण्ड़लायुक्त,हिमाचल प्रदेश ।
10.समस्त जिलाधीस,हिमाचल प्रदेश ।
11.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,हिमाचल प्रदेश ।
12.समस्त अधीक्षक(पुलिस)हिमाचल प्रदेश ।
13.समस्त जिला एंव सत्र न्यायधीश,हिमाचल प्रदेश ।
14.निदेशक(आर्युवेद),हिमाचल प्रदेश ।
15.निदेशक स्वास्थ्य सेवायें,हिमाचल प्रदेश ।
16.निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान,हिमाचल प्रदेश ।
17.समस्त प्रबन्धक निदेशक,अध्यक्ष,कारपोरेशन/बोर्ड़, हिमाचल प्रदेश ।
18.रजिस्ट्रार,हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–5/कृर्षि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सोलन/उद्यान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर ।
19.निदेशक, कोष एंव लेखा,हिमाचल प्रदेश,शिमला–1.
20.समस्त कोषाधिकारी,हिमाचल प्रदेश ।
21.विशेष सचिव(वित्त विभाग(विनियम)),हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2.
22.अवर सचिव लेखा,हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2.
23.प्रधान,एन0जी0ओ0 फेडरेशन,हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
24.प्रधान, पैशनरज ऐसोसेशन, रिज,शिमला–1.
25.नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन,हिमाचल शिमला–4.आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र आधारण में प्रकाशित करें ।
26.गार्ड़ फाईल

अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार